

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम अनूपगढ़ (जिला श्री गंगानगर)

रविन्द्र कुमार

बनाम

हनुमान

प्रकरण अन्तर्गत धारा 88, 188 RTA

प्रकरण संख्या 73 सन् 2025 जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/137

तारीख हकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

जारी तामिल का नम्बर/दिनांक

24/7/25

आज प्रार्थी/वादी की ओर से एक प्रार्थना/वाद पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थी/प्रतिवादी को जरिये नोटिस/सम्मन तलब करके पत्रावली दिनांक 8/9/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

8/9/25 पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी
अभिषेक। प्रतिवादी स-1 श्री
ओर से अभिवक्ता की शक्ति
के तलब के बत्रालतनामा पेश किया
के शामिल किया गया।
प्रतिवादी स-3 का सम्मन बाद
तामिल हाट्ट हुआ। जो शामिल
किया गया। पत्रावली वादी
तलबी प्रतिवादी स-2 को शक्ति
वोटिस को पत्रावली दिनांक 8/10/25
को पेश को

6/10/25

पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी अनुष
वकील प्रतिवादी स-1 अनुष।



प्रतिवादी स-२ की तलवी वरिष्ठ
 वरिष्ठ ए.डी. वारी को पजावली
 आरेख सिनांन 10/11/25 को
 पेश को

10/11/25 पजावली एररट्ट वडील वाणी
 प्रतिवादी स-२ ने वरिष्ठ सममत
 पेश करी पजावली सिनांन 27/11/25
 ने पेश को

27/11/25

पजावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील लप.
 श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त हैं।
 अतः पजावली आईन्दा सिनांक 2/11/26
 को पेश हो।

27/11/26 पजावली एररट्ट वडील वाणी कुंठ
 वडील वाणी को प्रतिवादी के
 तलवी डेट्ट मय में कर अवसर
 पेश गिर जा चुके हैं तथा
 वडील वाणी के भाद सिनांन लप
 करे करिवादी वडी की गरी अल
 पेश सिपती के 09/11/25 एवं
 वाणी का भाद रवारिग विपा जाल
 है पजावली सिनांनमाए वरिष्ठ एररट्ट
 डेट्ट एररट्ट गवा से लप है

सुरेश राव
 उपखण्ड अधिकारी
 अनपगत